महंगाई राहत कैम्प/प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

कार्यालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

संख्या ::– 60/2020

खेमराज पिता रतना जाति भील निवासी बाण्डा तहसील बेगूँ

वादी

बनाम

1. लाभचंद्र पिता नंदलाल जाति मीणा निवासी तेजपुर तह0 बेगूँ
2. रतनलाल पिता नंदलाल जाति मीणा निवासी तेजपुर तह0 बेगूँ
3. लीलाबाई पुत्री नंदलाल जाति मीणा पत्नी गोवर्धनलाल मीणा निवासी बरूंदनी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
4. पुष्पाबाई पुत्री नंदलाल जाति मीणा पत्नी शैतानजी मीणा निवासी सिंगोली चारभुजा मीणों की झोपडिया तह0 माण्डलगढ़
5. रतनीबाई पुत्री नंदलाल जाति मीणा पत्नी श्यामलाल जी नि0 सराणा (फलासिया) तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
6. नाथीबाई पत्नी स्व. नंदलाल जाति मीणा निवासी तेजपुर तह0 बेगूँ
7. उदयलाल पिता देवा जी मीणा निवासी तेजपुर तह0 बेगूँ
8. सोहनबाई पुत्री देवा जी पत्नी प्याराजी मीणा नि0 बरूंदनी तह0माण्डलगढ़
9. राजीबाई पुत्री देवा जी मीणा निवासी धाकडखेडी तह0 माण्डलगढ़
10. बालीबाई पुत्री देवा जी मीणा पत्नी देवीलाल मीणा नि0 व्यास जी का बडला तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
11. काना पिता रामा जी मीणा निवासी तेजपुर तह0 बेगूँ
12. श्री भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील बेगूँ
13. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, चितौडगढ प्रतिनिधी राज0 सरकार
14. छीतरमल पिता देवा मीणा निवासी सामरियाखुर्द तह0 बेगू
15. रूपीबाई पत्नि देवा जी मीणा निवासी तेजपुर तह0 बेगूँ (प्रा.पत्र आदेश 01नि.10सी.पी.सी. में व प्रा.पत्र 151सी.पी.सी. में आदेश दिनांक 08.03.2022 से क.सं.15पर नाम अंकित किया।)

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री अशोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादी
श्री सत्यनारायण माली
अधिवक्ता प्रति.14

शोधित निर्णय दिनांक :– 02.06.2023

संशोधित निर्णय वाद पत्र अ0धा0 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से वाद पत्र अ.धा. 88 [illegible] अधिनियम के तहत अधिवक्ता श्री अशोक कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत करते हुए निवेदन [illegible] प्रकार से किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 तक की संयुक्त अविभाजित [illegible] की कृषि [illegible]जीयात ग्राम तेजपुर प0ह0 खेडी तह0 बेगूँ में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.22 16:53:27 IST
Reason: SelfAttested

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा [illegible] में
37	45	0.0400
	88	0.2800
	89	0.0700
	90	0.0800
	91	0.0700
	92	0.4700
	93	0.0200

उक्त संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि आराजीयात में वादी का 1/30 हक हिस्सा निहित है, तथा प्रतिवादीगण का भी निहित हक हिस्सा बनता है और वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 तक अपने अपने निहित हक हिस्सा आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। लगान भी अदा करते है लेकिन वाद वर्णित कृषि आराजीयात का मौके पर एवं राजस्व रेकार्ड में विधिवत रूप से विभाजन नहीं होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आये दिन भूमि को कम ज्यादा को लेकर एवं फसल घास आदि काटते समय एवं लगान जमा कराते समय विवाद होता रहता है जिसके स्थाई समाधान हेतु वादी ने आपसी सहमति से तहसील में चलकर खाता विभाजन कराने हेतु प्रतिवादीगण को दिनांक 05.07.2020 को कहा तो उन्होने इनकार कर दिया जिससे वाद कारण उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

यह कि वाद वर्णित कृषि आराजीयात ग्राम तेजपुर तह0 बेगूं में स्थित होने से वाद पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। साथ ही घोषरणा एवं विभाजन के प्रकरण में श्रीमान भूमिधारी जी व श्रीमान जिला कलक्टर महोदय राज्य के प्रतिनिधि आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि वारदी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न अनुतोष की डिकी प्रदान करायी जावें:–

क– कि वादपत्र की कलम संख्या एक में वर्णित मौजा तेजपुर की आराजी संख्या 75, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 125, 126 कुल किता–17 कुल रकबा 3.4700 हैक्टर भूमि में वादी का 1/30 हक हिस्सा निहित का व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 तक का जमाबंदी रेकार्ड अनुसार मौके पर एवं राजस्व रेकार्ड में अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर एवं मौके पर काबिजानुसार का विभाजन किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान करायी जावें।

ख– कि वादपत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कृषि आराजीयात का मौके पर एवं राजस्व रेकार्ड में बाद विभाजन किये जाने वादी का निहित हक हिस्सा 1/30 भूमि का खाता पृथक पृथक रूप से राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराये जाने की आज्ञप्ति वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान करायी जावें।

ग– कि वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क भी वादी को प्रतिवादीगण से प्रदान करायी जावें।

घ – अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान करायी जावें।

वादी का वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये, प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 भूमिधारी व 13 जिला कलक्टर फोर्मल पक्षकार होने से उनकी ओर से कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस दावा पत्रावली में प्रार्थी छीतरमल पिता देवा जी [illegible] निवासी [illegible] द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का प्रस्तुत किया [illegible] न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया तथा प्रार्थी छीतरमल को प्रकरण में [illegible] बनाया गया [illegible] पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 14 जो कि छीतरमल के रूप में संयोजित किया [illegible] जवाबदावा मय काउण्टरक्लेम के साथ प्रस्तुत कर जवाब में निवेदन किया कि वाद [illegible] आराजीयात में मुझ प्रतिवादी छीतरमल का हिस्सा 11/336 निहित है जिस हिस्से में काबिज होकर मै काश्त कर रहा हूँ मेरा भी हक हिस्सा पृथक किये जाने की घोषणा की आज्ञप्ति प्रदान कराई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.22 16:53:27 IST
Reason: SelfAttested

दावा पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 से 11 व 15 के उपस्थित नहीं आने एवं प्रतिवादी संख्या 14 छीतरमल द्वारा अपना निहित हक हिस्सा पृथक कराये जाने के निवेदन किये जाने के पश्चात पत्रावली वादी की ओर से साक्ष्य वादी हेतु शपथ पत्र वादी खेमराज पिता रतना जी भील का प्रस्तुत किया जिस पर वादी खेमराज के बयान दिनांक 04.01.2022 को कलमबद्ध

[illegible] का स्वीकार किया गया है, जिससे [illegible] उनकी साक्ष्य नहीं कराई गई

[illegible] वादी साक्ष्य पूर्ण होने पर उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, [illegible] वादी द्वारा अपनी बहस अपने वादपत्र अनुसार करते हुए वादी का हिस्सा 1/30 अनुसार विभाजन किये जाने का निवेदन किया जबकि अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 14 द्वारा अपनी बहस अपने काउण्टरक्लेम अनुसार करते हुए वादी के साथ साथ प्रतिवादी संख्या 14 का वाद वर्णित आराजी में निहित हक हिस्सा 11/336 का भी विभाजन किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया गया। पत्रावली में बहस अधिवतागण की सुने जाने के उपरान्त हमारे द्वारा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी मौजा तेजपुर प्रदर्श– 1 व नक्शाट्रेस प्रदर्श– 2 का अवलोकन किया गया, जमाबंदी के अवलोकन से पाया कि वाद वर्णित कृषि आराजीयात में वादी का हिस्सा 1/30 लालस्याही से अंकित किया हुआ है , वादी द्वारा उक्त आराजीया को क्रय की गई है, इसी प्रकार नकल जमाबंदी प्रदर्श– 3 का अवलोकन किया जाने पर पाया कि प्रतिवादी संख्या 14 छीतरमल का हिस्सा वाद वर्णित आराजीयात में 11/336 लालस्याही से अंकित किया हुआ है उक्त आराजी भी प्रतिवादी संख्या 14 द्वारा क्रय की गई है। प्रकरण में दस्तावेज अनुसार वादी का वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 14 का प्रस्तुत काउण्टरक्लेम स्वीकार किया जाने व वाद वर्णित आराजीयात का विभाजन वादी करा पाने के अधिकार पाये जाते है।

अतः वाद वादी अ0धा0 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है, दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है, मौजा तेजपुर की आराजी सख्या 75, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 125, 126 कुल किता–17 कुल रकबा 3.4700 हैक्टर भूमि में वादी का 1/30 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 14 छीतरमल पिता देवा का हिस्सा 11/336 घोषित किया जाता है, प्रकरण में वादी का हिस्सा 1/30 व प्रतिवादी संख्या 14 का हिस्सा 11/336 रखते हुए तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 11तक व प्रति.15 का हक हिस्सा जमाबंदी अनुसार रखते हुए वर्णित आराजीयात का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर कब्जे अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार, बेगूँ को 1000/–रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाते हुए वर्णित आराजी का विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में तलब किया जावें।

उपरोक्त प्राथमिक निर्णय व प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूं को वादी एवं प्रतिवादी के मध्य आराजी का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार बेगूं द्वारा महंगाई राहत कैम्प/प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्र क्रमांक/2023/204 दिनांक 30.05.2023 के साथ फर्द बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट वकीलवादी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्तावादी द्वारा प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट प्राथमिक डिक्री अनुसार होना बताते हुए दावा अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन हमारे समक्ष किया। जिससे वाद वादी का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर दावा अंतिम डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अ0धा0 88–53 राज0का0 [illegible] मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। मौजा तेजपुर की आराजी संख्या 75, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 125, 126 कुल किता–17 कुल रकबा 3.4700 हैक्टर भूमि का विभाजन वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्नानुसार किया जाने का आदेश दिया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.22 16:53:27 IST
Reason: SelfAttested

खेमराज पिता रत्ना भील 1/2 सा0 बाण्डा छीतरमल पिता देवा मीणा 1/2 सा0 सामरिया खुर्द खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
865/91	0.0120		0.03
89	0.0120		0.03

[illegible]

[illegible]	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
[illegible]	0.11	चाही II 0.09	2.51
		जाद II 02	27
863/88	0.04	चाही II 02	56
		जाद II 02	27
89	0.0580	बीड़	
90	0.08	बीड़	20
866/91	0.0280	बीड़	07
868/92	0.1060	चाही II	2.96
869/92	0.0840	चाही II	2.34
94	0.23	चाही II	6.42
95	0.02	बीड़	0.5
96	0.04	आ.चा.	--
97	0.05	बीड़	0.13
98	0.23	चाही II	6.42
99	0.23	चाही II	6.42
100	0.02	बीड़	0.5
103	0.38	चाही II	10.60
125	0.55	बीड़	1.38
126	0.69	बीड	1.73
17	2.9460		42.53

उक्त खाते में से 0.50 है0 भूमि एनएचएआई के नाम होने से शेष रकबा 2.97 है0 भूमि का प्रस्ताव तैयार कर उपस्थित वादी एवं प्रतिवादी के हस्ताक्षर लिये गये। प्रतिवादी सं0 11 ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। शेष प्रतिवादी अनुपस्थित प्रतिवादी सं0 10 बालीबाई की मृत्यु हो चुकी है।

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी का खाता राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक दर्ज किया जावे। ये अंतिम डिक्री आज दिनांक 02.06.2023 को महंगाई राहत कैम्प/प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.22 16:53:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी), बेगूँ

बनाम

1. लालचंद्र पिता नंदलाल जाति मीणा निवासी तेजपुर तह0 बेगूँ
2. रतनलाल पिता नंदलाल जाति मीणा निवासी तेजपुर तह0 बेगूँ
3. लीलाबाई पुत्री नंदलाल जाति मीणा पत्नी गोवर्धनलाल मीणा निवासी बरूंदनी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
4. पुष्पाबाई पुत्री नंदलाल जाति मीणा पत्नी शैतानजी मीणा निवासी सिंगोली चारभुजा मीणों की झोपडिया तह0 माण्डलगढ़
5. रतनीबाई पुत्री नंदलाल जाति मीणा पत्नी श्यामलाल जी नि0 सराणा (फलासिया) तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
6. नाथीबाई पत्नी स्व. नंदलाल जाति मीणा निवासी तेजपुर तह0 बेगूँ
7. उदयलाल पिता देवा जी मीणा निवासी तेजपुर तह0 बेगूँ
8. सोहनबाई पुत्री देवा जी पत्नी प्याराजी मीणा नि0 बरूंदनी तह0माण्डलगढ़
9. राजीबाई पुत्री देवा जी मीणा निवासी धाकडखेडी तह0 माण्डलगढ़
10. बालीबाई पुत्री देवा जी मीणा पत्नी देवीलाल मीणा नि0 व्यास जी का बडला तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
11. काना पिता रामा जी मीणा निवासी तेजपुर तह0 बेगूँ
12. श्री भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील बेगूँ
13. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, चितौडगढ प्रतिनिधी राज0 सरकार
14. छीतरमल पिता देवा मीणा निवासी सामरियाखुर्द तह0 बेगू
15. रूपीबाई पत्नि देवा जी मीणा निवासी तेजपुर तह0 बेगूँ (प्रा.पत्र आदेश 01नि.10सी.पी.सी. में व प्रा.पत्र 151सी.पी.सी. में आदेश दिनांक 08.03.2022 से क्र.सं.15पर नाम अंकित किया।)

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा की उपस्थिति में तथा प्रतिवादी अधिवक्ता की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88–53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 02.06.2023 को पीठासीन अधिकारी कैलाश चन्द गुर्जर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है एवं दावा अंतिम डिक्री किया जाता हैः–

अतः वाद वादी का अ0धा0 88–53 राज0का0अधि0 का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। मौजा तेजपुर की आराजी संख्या 75, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 125, 126 कुल किता–17 कुल रकबा 3.4700 हैक्टर भूमि का विभाजन वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्नानुसार किया जाने का आदेश दिया जाता है।

खेमराज पिता रत्ना भील 1/2 सा0 [illegible] मीणा 1/2 सा0 सामरिया खुर्द खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
865/91	0.0120		0.03
89	0.0120		0.03
2	0.0240		0.06

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.22 16:53:27 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		जाद II 02	27
[illegible]	0.04	चाही II 02	56
		जाद II 02	27
89	0.0580	बीड़	
90	0.08	बीड़	20
866 / 91	0.0280	बीड़	07
868 / 92	0.1060	चाही II	2.96
869 / 92	0.0840	चाही II	2.34
94	0.23	चाही II	6.42
95	0.02	बीड़	0.5
96	0.04	आ.चा.	——
97	0.05	बीड़	0.13
98	0.23	चाही II	6.42
99	0.23	चाही II	6.42
100	0.02	बीड़	0.5
103	0.38	चाही II	10.60
125	0.55	बीड़	1.38
126	0.69	बीड	1.73
17	2.9460		42.53

उक्त खाते में से 0.50 है0 भूमि एनएचएआई के नाम होने से शेष रकबा 2.97 है0 भूमि का प्रस्ताव तैयार कर उपस्थित वादी एवं प्रतिवादी के हस्ताक्षर लिये गये। प्रतिवादी सं0 11 ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। शेष प्रतिवादी अनुपस्थित प्रतिवादी सं0 10 बालीबाई की मृत्यु हो चुकी है।

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी का खाता राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक दर्ज किया जावे। ये अंतिम डिक्री आज दिनांक 02.06.2023 को महंगाई राहत कैम्प / प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर से जारी की गई।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक / सरिस्ता / 2023 / 245. दिनांक :– 23-6-23

प्रतिलिपि तहसीलदार बेगू को अंति... भिजवाई जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.22 16:53:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़